

न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर  
खण्डपीठ न्यायालय रीवा, जिला-रीवा (म0प्र0)

423



R- 3099-11/14

श्रीमती इन्द्रारानी पत्नी राजकुमार मिश्रा उम्र-48 वर्ष, पेशा गृहकार्य, निवासी  
क्वाटर नम्बर एम.क्यू.364 एन.सी.एल. अमलोरी परियोजना कालोनी सिंगरौली  
जिला-सिंगरौली (म0प्र0) \_\_\_\_\_निगरानीकर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

\_\_\_\_\_गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्  
तहसीलदार महोदय तहसील सिंगरौली म.प्र.  
द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 42/अ-3/2012-  
13 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2012 के  
माध्यम से ग्राम नौगढ़ की आराजी खसरा  
क्रमांक 825/3 ख रकवा 0.14 हे0 को नाला  
में दर्शित किये जाने की पुष्टि की गई है को  
अपास्त किये जाने बाबत् ।

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.संहिता  
1959

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

अ- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता  
द्वारा ग्राम नौगढ़ तहसील सिंगरौली जिला-सिंगरौली की आराजी खसरा क्रमांक  
825/3 रकवा 0.55 हे0, 838/3 रकवा 0.03 हे0, 840/3 रकवा 0.04 हे0, 886/3  
रकवा 0.03 हे0, 899/3 रकवा 0.03 हे0, 901/3 रकवा 0.03 हे0, 908/3 रकवा  
0.04 हे0, से क्रमशः अंश रकवा 0.14 हे0, 0.01 हे0, 0.01 हे0, 0.01 हे0, 0.01 हे0,  
0.01 हे0, 0.02 हे0, कित्ता 7 रकवा 0.21 हे0 भूमि स्वामी प्राणमति/पत्नी मकसूदन

*[Handwritten Signature]*

श्री जे.ए.ए. लि.पा. 2-8-14  
व्हा. पेशा

वसुधै कुर्वन् भद्रम्  
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर  
(सर्किट कोर्ट, रीवा)

428  
2-8-14

प्रकरण हे0  
3-9-14

*[Handwritten Signature]*

299

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.3099.प्र.114

जिला खिगरीली

श्रीमती शहजाराणी विरुद्ध म.स.धीमन

14-1-19

1. आवेदक की ओर से श्री ~~श्रीमती शहजाराणी~~ अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ ~~नायब तहसीलदार~~ तहसील ~~खिगरीली~~ के प्रकरण क्रमांक ~~4.5.12.3~~ | ~~12.13~~ में पारित आदेश दिनांक ~~15.12.12~~ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर ~~खिगरीली~~ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक ~~29.3.19~~ को कलेक्टर ~~खिगरीली~~ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

  
सदस्य